



2026:AHC:39006-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं - 1956/2026

शिवा सिंह (अवयस्क)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अलोक कुमार पांडेय, कुवर अखिलेश सिंह, नरेंद्र गिरि,
सुशील कुमार पांडेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी. ए.

न्यायालय क्रमांक - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.12.2025 की एफ.आई.आर. को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे अपराध संख्या 0330/2025, भारतीय न्याय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 3(5), 109, 115(2), 352, 351(3) के अंतर्गत, थाना तरवा, जिला आजमगढ़ उत्पन्न हुई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में छिपे हुए इरादे से झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध, जिसकी शिकायत की गई है, स्थापित नहीं होता है और इस प्रकार, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने उक्त तथ्यों का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि तत्काल मामले में दो अभियुक्त व्यक्तियों ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर पीड़ित पर लाठी-डंडा और मुक्के से हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप एक बृजेश राजभर को उसके सिर, पैर और शरीर के अन्य भागों पर चोटें आई हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक बृजेश राजभर को उसके शरीर पर चोटें आई हैं, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपराध स्थापित होता है, इसलिए, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **राज्य तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जेल्लानी के मामले में, (2017) 2 एस.सी.सी. 779 में, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में, (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315** में और माननीय शीर्ष न्यायालय के एक हालिया निर्णय **आपराधिक अपील सं. 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य** में स्थापित किए गए कानून के दृष्टिगत विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) द्वारा किए गए प्रतिवादी तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विद्वान अपर अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल मामले में दो अभियुक्त व्यक्तियों ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर पीड़ित पर लाठी-डंडा और मुक्के से हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप एक बृजेश राजभर को उसके सिर, पैर और शरीर के अन्य भागों पर चोटें आई हैं। इसके अलावा, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से और विद्वान अपर अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) द्वारा किए गए सबमिशन पर ध्यान देते हुए तथा विद्वान अपर अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) द्वारा उद्धृत कानून को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से स्थापित होता है, इस प्रकार, हम इस राय में हैं कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

6. तथापि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत / नियमित जमानत के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर यथाशीघ्र कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से **निस्तारण** किया जाता है।

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”